प्रैस विज्ञप्ति

भारत के धरोहर स्थलों में प्रवेश पाना हुआ आसान

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने स्मारकों/स्थलों में प्रवेश के लिए एक कॉमन ऐंट्री टिकट जारी किया

नई दिल्ली, 2 दिसंबर 2009: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्मारकों को देखने के इच्छुक पर्यटक, बिना किसी बाधा के आसानी से टिकट खरीद सकें, इसके लिए भा.पु.स. ने अपने विश्व धरोहर स्थलों एवं अन्य स्मारकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट जारी किया है। ताज महल के लिए विशेष तौर पर डिजाइन किया गया टिकट भी जारी किया गया। अब देशी/विदेशी पर्यटक 250 निर्धारित केन्द्रों से प्रवेश टिकट खरीद सकेंगे। ये कॉमन ऐंट्री टिकट भा.पु.स. के कार्यालयों व उसके सशुल्क स्मारकों के साथ साथ आईटीडीसी, पर्यटन विभाग, भारत सरकार के केन्द्रों पर भी उपलब्ध रहेंगे। होटल, ट्रैवल एजेंट व टूर ऑपरेटर इन टिकटों को अग्रिम रूप से अधिक संख्या में खरीद कर अपने ग्राहकों को बेच सकेंगे।

2. कॉमन ऐंट्री टिकट का विवरण इस प्रकार है:—

(क) विश्व धरोहर स्थल (इनमें ताज महल शामिल नहीं है)

(फतेहपुर सीकरी, हुमांयू का मकबरा, आगरा का किला, लाल किला, कुतुब मीनार, सांची के बौद्ध स्तूप, खजुराहो का पश्चिमी मंदिर समूह, कोर्णाक का सूर्य मंदिर, अजंता की गुफाएं, ऐलोरा की गुफाएं, ऐलीफेंटा गुफाएं, पट्टाडकल मंदिर समूह, हंपी स्मारक समूह व मामल्लपुरम स्मारकों का समूह)

-	सभी घरेलू पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 10/—
-	सार्क/बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. देशों के पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 10/—
-	सभी विदेशी पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 250/—

(ख) अन्य सशुल्क स्मारक

-	सभी घरेलू पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 5/–
-	सार्क/बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. देशों के पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 5/–
-	सभी विदेशी पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 100/–

(ग) ताज महल

-	सभी घरेलू पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 20/– (आगरा विकास प्राधिकरण टोल टैक्स रु.10 समेत)
-	सार्क/बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी. देशों के पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 510/– (आगरा विकास प्राधिकरण टोल टैक्स रु. 500 समेत)
-	सभी विदेशी पर्यटकों के लिए एक सामान्य प्रवेश टिकट	रु. 750/– (आगरा विकास प्राधिकरण टोल टैक्स रु. 500 समेत)

3. पुरातन काल से भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की धरती के रूप में जाना जाता है, जिसने समय की परीक्षा का सफलता से सामना किया है। आज भी हम अपने ऐतिहासिक स्मारकों में बीते जमाने का प्रतिबिम्ब देख सकते हैं। ये स्मारक भारत की विरासत को पूरी प्रखरता और समृद्धि के साथ प्रदर्शित करते हैं। यह हमारा प्रयास है की दुनिया भर के लोगों के लिए भारत की सांस्कृतिक विरासत की व्यापकता को जानना सुगम बने। विश्व को भारत की ओर से सबसे उम्दा तोहफा हैं भारतीय धरोहर स्थल जो दुनिया भर के पर्यटकों के बीच विख्यात हैं। इन स्मारकों को प्रसारित एवं लोकप्रिय बनाने में उनका सफलतापूर्वक संरक्षण और उन्हें घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिये सुगम्य बनाना कठिन चुनौतियॉ हैं । कामन टिकट प्रणाली द्वारा पर्यटकों का इन अमूल्य स्मारकों और स्थलों तक पहुँचना अत्यंत सरल हो जायेगा ।

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में

संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एक प्रतिष्ठित संगठन है जो राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा एवं अनुसंधान का कार्य करता है। राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों, पुरातत्व स्थलों और भग्नावशेषों की देखभाल व मरम्मत करना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रधान आदेशों में से एक है। इसके अलावा, प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 और पुरावशेष एवं कलाकृति अधिनियम 1972 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत यह संगठन देश में होने वाली सभी पुरातत्व संबंधी गतिविधियों को विनियमित करता है।

राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों एवं अवशेषों की देखभाल व मरम्मत के लिए पूरे देश को 5 क्षेत्रों और 24 मंडलों में बांटा गया है। संगठन के पास प्रशिक्षित पुरातत्त्वविद्, संरक्षक, पुरालेखशास्त्री, बागवानी विशेषज्ञ, वास्तुकार एवं वैज्ञानिक शामिल हैं जो अपने क्षेत्रों, उत्खनन शाखाओं, प्रागैतिहासिक शाखा, पुरालेख शाखाओं, विज्ञान शाखा, बागवानी शाखा, भवन सर्वेक्षण परियोजनाओं, मंदिर सर्वेक्षण परियोजनाओं एवं जलस्थ पुरातत्त्व शाखा के माध्यम से पुरातात्त्विक अनुसंधान, संरक्षण और दैनंदिनी देखभाल, विकास एवं अन्य संबंधित गतिविधियों का परिपालन करते हैं। पुरातत्व संस्थान, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का सहयोगी है जो युवा पेशेवरों को दक्षता प्रदान करता है ताकि वे पुरातत्व के विभिन्न क्षेत्रों एवं पुरातत्व से संबंधित क्षेत्रों में निर्धारित कार्यों के दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन कर सकें ।